भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 198
****

सोमवार, 5 फरवरी, 2024 (16 माघ, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

डिजी यात्रा

198 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यात्रियों के डेटा संग्रह की प्रक्रिया और डिजी यात्रा के माध्यम से एकत्र किए गए ऐसे डेटा तक अनधिकृत पहुँच या उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यात्रियों के पास डिजी यात्रा के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा पर पूर्ण पारदर्शिता और नियंत्रण है, जिसमें उनके डेटा तक पहुंचने, उसमें सुधार करने और उसे हटाने का अधिकार शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजी यात्रा को सरकारी नियंत्रण में लाने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई), डिजाइन/डिफ़ॉल्ट रूप से गोपनीयता के मौलिक सिद्धांतों पर तैयार किया गया है, तथा इसमें यात्रियों की व्यक्तिगत पहचानयोग्य जानकारी (पीआईआई) डाटा का कोई केंद्रीय संग्रहण नहीं किया जाता। यात्री का सम्पूर्ण डाटा यात्री के स्मार्टफोन के वालेट में जमा रहता है और इस तरह यात्री के नियंत्रण में रहता है। यह डाटा मूल हवाईअड्डा, जहां यात्री के आईडी के सत्यापन की आवश्यकता होती है, के साथ साझा किया जाता है एवं उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटों के पश्चात इस डाटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है।

(घ) और (ङ): सरकार, डाटा को यात्रियों के मोबाइल फोन में रखने तथा हवाईअड्डों के साथ साझा किए गए उस डाटा को उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटों के पश्चात हटा देने के माध्यम से डिजी यात्रा में डाटा की सुरक्षा तथा प्रक्रियाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

****